(1)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of the Respondent No. 2 i.e. Principal Chief Conservator of Forests/HoFF, Uttarakhand, Dehradun)

IN

O.A. No. 1122 OF 2024 (Suo-Moto)

News Item titled "देहरादूनः उत्तराखण्ड के 104 वर्ग किलोमीटर जंगल पर कब्जा... सैकड़ो पेड़ काटे, वन विभाग की भूमिका सवालों में" appearing in Amar Ujala dated 22.08.2024

........(Suo-Moto Application)

S. No.	Particulars	P. Nos.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-7
3.	**ANNEXURE-1** True/photocopy of the detailed report dated 04.11.2024	8-42

Dated: /11/2024

Anjali Rajput
Panel Counsel
Government of Uttarakhand

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of the Respondent No.2 i.e. Principal Chief Conservator of Forests/HoFF, Uttarakhand, Dehradun)

IN

O.A. No. 1122 OF 2024 (Suo-Moto)

News Item titled "देहरादूनः उत्तराखण्ड के 104 वर्ग किलोमीटर जंगल पर कब्जा... सैकड़ो पेड़ काटे, वन विभाग की भूमिका सवालों में" appearing in Amar Ujala dated 22.08.2024

........(Suo-Moto Application)

1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, through its Regional Office, Integrated Regional Office, 25, Subhash Road, Dehradun–248001.

2. Principal Chief Conservator of Forest, Uttarakhand, 87, Rajpur Road, Dehradun-248001

........Respondents

NOTARY UTTARAKHAND

NOTARIAL NOTARIAL

Affidavit of Dr. Dhananjai Mohan, aged about 59 years, S/o Sh. S. S. Rajput, presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.

(Deponent)

1. That the deponent is posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun. The above captioned matter has been registered by this Hon'ble Tribunal taking *suo-moto* cognizance on a news item published in 'Amar Ujala' news-paper and while hearing the matter on 02.09.2024, the deponent has been impleaded as Respondent No.2 in the above captioned matter as such he is competent to swear the present affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal, after the course of the hearing, vide its order dated 02.09.2024 had *suo-moto* registered the present Original Application and passed a direction to the deponent to file the present Response Affidavit.

3. That the State Government and Forest Department has been vigilant on the issue of encroachment on the Forest land for last one year and the Government had also launched a campaign to remove the encroachments from the forest land across the State by appointing a Nodal Officer for the said purpose.

4. That as soon the deponent came to know about the proceedings and directions passed by this Hon'ble Tribunal vide its Order dated 02.09.2024, the deponent sought a detailed report in the matter from the Chief Conservator of Forests, Van Panchayat who is also a Nodal Officer, Encroachment on Forest Land. The Nodal Officer, vide his letter 04.11.2024 had furnished a detailed report on the subject matter. Copy of the said report is being annexed and marked herewith as **ANNEXURE-1.** The following main facts are being highlighted here for kind perusal of this Hon'ble Tribunal as:

a) **Encroachment Data according to Uttarakhand Forest Department Statistical Report 2017-18**: The total encroachment on

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

(4)

forest lands across 31 forest divisions was recorded at 9506.23 Ha.. Updated figures on encroachment are published biennially. Notably, the Tarai East and Tarai West divisions reported encroachments of 5982.08 Ha. and 1417.28 Ha., respectively, while divisions such as Dehradun, Badrinath, Tarai Central, Ramnagar, Bageshwar, and Mussoorie reported encroachments of 579.80, 386.15, 337.95, 275.90, 147.63, and 110.20 Ha., respectively. The division-wise Area and their encroachment details, as per the 2017-18 report, are annexed herewith and marked as ***(Annexure-1).***

b) **Encroachment Data for 2020-21**: Encroachment data was collected by the office of the Additional Principal Chief Conservator of Forests (PFM), Uttarakhand, Dehradun, for FY 2020-21. However, based on this collected data, which reports a total encroachment of 11814.46 Ha., is being used as the baseline for reporting in the anti-encroachment drive initiated by the Department in June 2023.

c) **Comparative Analysis of Encroachment Data (2017-18 Vs. 2020)**: Analysis of the 2017-18 and 2020-21 data reveals an increase in recorded encroachment, from 9506.23 to 11814.46 Ha., a difference of 2308.23 Ha., due to the following discrepancies:

i. An encroachment of 1417.28 Ha. in the Tarai west was misrepresented & mistakenly reported in 2017-18 report, against the 2629.15 Ha. of encroachment reported in the approved working plan of Tarai west Division (Copy of the relevant pages of Working Plan is annexed and marked as ***(Annexure -2)***.

ii. In Rudraprayag division, 282.16 Ha. of encroachment misreported in 2020 against the zero-hectare encroachment reported in Statistical Report 2017-18. Notices were issued to the people, and all matters are currently sub-judice in the Court of Prescribed Authority/ DCF under the IFA,1927 as amended in 2001.

iii. In Badrinath division, 1184.55 Ha. of encroachment misreported in 2020 against the 386.15 Ha. encroachment reported in Statistical Report 2017-18. The notices were issued to the people and presently all the matters are sub-judice at different levels i.e. Court of Prescribed Authority/ DCF and the

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA

Appellate Authority /CF under the IFA,1927 as amended in 2001.

iv. In Kedarnath Wildlife division, 12.49 Ha. of encroachment misreported in 2020 against the 0.12 Ha. encroachment reported in Statistical Report 2017-18. In the instant case, notices were issued to the people and presently all the matters are sub-judice at different levels i.e. Court of Prescribed Authority/ DCF and also Appellate Authority /CF under the IFA,1927 as amended in 2001.

v. In Ramnagar Tiger Reserve division (CTR), 9.11 Ha. of encroachment misreported in 2020 against the 0.40 Ha. encroachment reported in Statistical Report 2017-18. In the instant case, the matter is pertaining to encroachment by 53 Van Gujjars on forest lands where the eviction orders of Prescribed Authority/ DCF and also Appellate Authority /CF under the IFA,1927 as amended in 2001, was stayed by Hon'ble Supreme Court. Copy of the corrected/ amended data of the Ramnagar Tiger Reserve Division is annexed and marked as ***(Annexure-3)***.

A comprehensive annexure detailing the discrepancies and their reasons for the discrepancies between the 2017-18 and 2020 datasets is attached as ***(Annexure-4)***.

5. It is relevant to note that, as per the Uttarakhand Statistical Report 2003-04, encroachments on forest lands were recorded at 9977.15 Ha., these encroachments are long-standing, originating from the period before Uttarakhand's formation in November 2000, when the region was part of Uttar Pradesh. The Forest Department is making concerted efforts to remove these encroachments on forest land to the fullest extent of its capacity and resources.

6. It is pertinent to note that under the IFA, 1927, as amended in 2001, the Deputy Conservator of Forests (DCF) has the authority to evict illegal encroachments, with appeals permissible before the Conservator of Forests (CF). In fulfilment of core forest protection duties, an anti-encroachment drive was commenced in June 2023, leading to the removal of encroachments over 1366.54 Ha. to date. Details of Daily Status Report (DSR) of division-wise encroachment removal under anti-encroachment drive is annexed and marked as ***(Annexure-5)***.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

(6)

In view of the above, the news article published in Amar Ujala on 22-08-2024, "उत्तराखंड के 104 वर्ग किलोमीटर जंगल पर कब्जा... सैकड़ों पेड़ काटे, वन विभाग की भूमिका सवालों में," lacks factual accuracy and is misleading, since almost all the encroachments date back to the Uttar Pradesh times when the state of Uttarakhand was not in existence. Contrary to the portrayal in the news item, field forest officials have actively fulfilled their core duties in protecting and reclaiming forest lands, resulting in the removal of 1366.54 Ha. of encroachment in a dedicated mission mode.

7. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future as well.

DEPONENT

VERIFICATION: -

I, ..., do hereby solemnly affirm and verify on oath that the contents of the above affidavit in paragraph nos. .... are true to my personal knowledge and those in paragraph nos.................................... are based on the perusal of records and those in paragraph nos................. are based on legal advice. Nothing material has been concealed and no part of it is untrue. So help me God.

Place: Dehradun

DEPONENT

I, Avnish Gupta, Legal Assistant, Forest Department, Uttarakhand, Dehradun, do hereby declare that the person making this affidavit and

NOTARY GOVT.OF UTT... (A)

(7)

alleging himself to be Dr. Dhananjai Mohan is the same person who is known to me from the papers produced by him before me in this case.

IDENTIFIER

Solemnly affirmed before me on this day of 13 November, 2024 at Dehradun at about 11.00 AM/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.

NOTARY/OATH COMMSSIONER

6834/24

This affidavit is sworn before me by
Shri Dr Dhananjai Mohan
who is identified by Shri Avijeet Chaterjee
at Dehradun on
13/11/24
(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002

पंचायत -18/10/2024-F3- forest DEPT 11 1/125991/2024

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– / दिनांक 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या 1122/2024 News Item titled "देहरादूनः उत्तराखण्ड के 104 वर्ग किलोमीटर जंगल पर कब्जा.... सैकड़ों पेड़ काटे, वन विभाग की भूमिका सवालों में" appearing in Amar Ujala dated 22-08-2024 के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक I/122620/2024 दिनांक 21.10.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या 1122/2024 News Item titled "देहरादूनः उत्तराखण्ड के 104 वर्ग किलोमीटर जंगल पर कब्जा.... सैकड़ों पेड़ काटे, वन विभाग की भूमिका सवालों में" appearing in Amar Ujala dated 22-08-2024 के संबंध में मांगी गई सूचना मय संलग्नक–5, कुल पृष्ठ संख्या–34 विवरण सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Signed by
Parag Madhukar Dhakate
Date: 04-11-2024 14:44:37
(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत/नोडल अधिकारी,
वन भूमि अतिक्रमण हटाओ अभियान,
उत्तराखण्ड।

संख्या / तददिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत/नोडल अधिकारी,
वन भूमि अतिक्रमण हटाओ अभियान,
उत्तराखण्ड।

Reply to Hon. National Green Tribunal (NGT)

Case No. 1122/2024 (Amar Ujala News)

With reference to above mentioned subject and in relation to the news article published in Amar Ujala on 22-08-2024, titled **"उत्तराखंड के 104 वर्ग किलोमीटर जंगल पर कब्जा... सैकड़ों पेड़ काटे, वन विभाग की भूमिका सवालों में,"** the factual position concerning encroachment on forest lands is detailed as follows:

1. Encroachment Data according to UKFD Statistical Report 2017-18: As per the 2017-18 statistical report of the Uttarakhand Forest Department (UKFD), the total encroachment on forest lands across 31 forest divisions was recorded at 9506.23 hectares. Updated figures on encroachment are published biennially. Notably, the Tarai East and Tarai West divisions reported encroachments of 5982.08 hectares and 1417.28 hectares, respectively, while divisions such as Dehradun, Badrinath, Tarai Central, Ramnagar, Bageshwar, and Mussoorie reported encroachments of 579.80, 386.15, 337.95, 275.90, 147.63, and 110.20 hectares, respectively. The division-wise Area and their encroachment details, as per the 2017-18 report, are annexed herewith and marked as **Annexure-1.**
2. Encroachment Data for 2020-21:
   Encroachment data was collected by the office of the Additional Principal Chief Conservator of Forests (PFM), Uttarakhand, Dehradun, for FY 2020-21. However, based on this collected data, which reports a total encroachment of 11814.46 hectares, is being used as the baseline for reporting in the anti-encroachment drive initiated by UKFD in June 2023.
3. Comparative Analysis of Encroachment Data (2017-18 vs 2020): Analysis of the 2017-18 and 2020-21 data reveals an increase in recorded encroachment, from 9506.23 to 11814.46 hectares, a difference of 2308.23 hectares, due to the following discrepancies:
   A. An encroachment of 1417.28 hectares in the Tarai west was misrepresented & mistakenly reported in 2017-18 report, against the 2629.15 hectares of encroachment reported in the approved working plan of Tarai west Division (Copy of the relevant pages of Working Plan is annexed and marked as **Annexure -2)**.
   B. In Rudraprayag division, 282.16 hectares of encroachment misreported in 2020 against the zero-hectare encroachment reported in Statistical Report 2017-18. Notices were issued to the

people, and all matters are currently sub-judice in the Court of Prescribed Authority/ DCF under the IFA,1927 as amended in 2001.

C. In Badrinath division, 1184.55 hectares of encroachment misreported in 2020 against the 386.15 hectares encroachment reported in Statistical Report 2017-18. The notices were issued to the people and presently all the matters are sub-judice at different levels i.e. Court of Prescribed Authority/ DCF and the Appellate Authority /CF under the IFA,1927 as amended in 2001.

D. In Kedarnath Wildlife division, 12.49 hectares of encroachment misreported in 2020 against the 0.12 hectare encroachment reported in Statistical Report 2017-18. In the instant case, notices were issued to the people and presently all the matters are sub-judice at different levels i.e. Court of Prescribed Authority/ DCF and also Appellate Authority /CF under the IFA,1927 as amended in 2001.

E. In Ramnagar Tiger Reserve division (CTR), 9.11 hectares of encroachment misreported in 2020 against the 0.40 hectares encroachment reported in Statistical Report 2017-18. In the instant case, the matter is pertaining to encroachment by 53 Van Gujjars on forest lands where the eviction orders of Prescribed Authority/ DCF and also Appellate Authority /CF under the IFA,1927 as amended in 2001, was stayed by Hon'ble Supreme Court. Copy of the corrected/ amended data of the Ramnagar Tiger Reserve Division is annexed and marked as **Annexure-3**.

A comprehensive annexure detailing the discrepancies and their reasons for the discrepancies between the 2017-18 and 2020 datasets is attached as **Annexure-4.**

4. It is relevant to note that, as per the Uttarakhand Statistical Report 2003-04, encroachments on forest lands were recorded at 9977.15 hectares. These encroachments are long-standing, originating from the period before Uttarakhand's formation in November 2000, when the region was part of Uttar Pradesh. The Forest Department is making concerted efforts to remove these encroachments on forest land to the fullest extent of its capacity and resources.

5. It is submitted that the encroachment figures are dynamic, as numerous cases are pending in various courts. Once a final order is issued, the

encroachment eviction process commences, which may result in a reduction or increase in encroachment area, depending on the Hon'ble court's ruling. The removal of encroachments on forest land under the Indian Forest Act (Uttarakhand Amendment) is a continuous process. Regular patrolling is conducted in forest divisions to protect forest lands from encroachment. Field forest officials, as part of their core duties, frequently prevent encroachment attempts to ensure the protection of forest lands.

6. It is pertinent to note that under the IFA, 1927, as amended in 2001, the Deputy Conservator of Forests (DCF) has the authority to evict illegal encroachments, with appeals permissible before the Conservator of Forests (CF). In fulfilment of core forest protection duties, an anti-encroachment drive was commenced in June 2023, leading to the removal of encroachments over 1366.54 hectares to date. Details of Daily Status Report (DSR) of division-wise encroachment removal under anti-encroachment drive is annexed and marked as **Annexure-5**.

In view of the above, the news article published in Amar Ujala on 22-08-2024, **"उत्तराखंड के 104 वर्ग किलोमीटर जंगल पर कब्जा... सैकड़ों पेड़ काटे, वन विभाग की भूमिका सवालों में,"** lacks factual accuracy and is misleading, since almost all the encroachments date back to the Uttar Pradesh times when the state of Uttarakhand was not in existence. Contrary to the portrayal in the news item, field forest officials have actively fulfilled their core duties in protecting and reclaiming forest lands, resulting in the removal of 1366.54 hectares of encroachment in a dedicated mission mode.

Annexure-1

1.5 वन विभाग के अधीन वन क्षेत्रों का वृत्तवार/प्रभागवार वर्गीकरण (कार्य योजनाओं के अनुसार)
Division wise classification of Forest Area under Forest Department (As per Working Plans)

वन क्षेत्र — हैक्टेयर
Forest Area - Ha

प्रभाग का नाम Name of Division	आरक्षित Reserved	सरक्षित Protected	अवर्गीकृत तथा निहित Unclassed and Vested	कुल वन क्षेत्र (2+3+4) Total Forest Area
1	2	3	4	5
बागेश्वर Bageshwar	66236.200	0.000	107.620	66343.820
अल्मोड़ा Almora	61082.030	0.000	119.610	61201.640
सिविल सोयम अल्मोड़ा Civil soyam Almora	11108.000	0.000	0.000	11108.000
पिथौरागढ़ Pithoragarh	75583.120	0.000	144451.000	220034.120
चम्पावत Champawat	65980.120	0.000	117.166	66097.286
योग-उत्तरी कुमांऊ वृत्त Total-North Kumaon Circle	**279989.470**	**0.000**	**144795.396**	**424784.866**
नैनीताल Nainital	59607.500	507.070	0.000	60114.570
योग-दक्षिणी कुमांऊ वृत्त Total-South Kumaon Circle	**59607.500**	**507.070**	**0.000**	**60114.570**
हल्द्वानी Haldwani	59578.800	0.000	0.000	59578.800
पूर्वी तराई Tarai East	81847.190	582.730	0.000	82429.920
पश्चिमी तराई Tarai West	34461.436	223.790	121.400	34806.626
केन्द्रीय तराई Tarai Central	40440.120	56.850	0.000	40496.970
रामनगर Ramnagar	48442.300	293.600	1.000	48736.900
योग-पश्चिमी वृत्त Total-Western Circle	**264769.846**	**1156.970**	**122.400**	**266049.216**
महायोग-कुमांऊ जोन Grand Total-Kumaon Zone	**604366.816**	**1664.040**	**144917.796**	**750948.652**

प्रभाग का नाम Name of Division	आरक्षित Reserved	संरक्षित Protected	अवर्गीकृत तथा निहित Unclassed and vested	कुल वन क्षेत्र (2+3+4) Total Forest Area
टिहरी Tehri	143268.900	0.000	0.000	143268.900
उत्तरकाशी Uttarkashi	224370.600	9.982	0.000	224380.582
नरेन्द्रनगर Narendranagar	62107.700	0.000	0.000	62107.700
योग–भागीरथी वृत्त Total-Bhagirathi Circle	**429747.200**	**9.982**	**0.000**	**429757.182**
मसूरी Mussoorie	39072.300	0.000	10.630	39082.930
टौन्स Tons	62208.970	0.000	0.000	62208.970
अपर यमुना बड़कोट Upper Yamuna Barkot	74394.500	0.000	2.629	74397.129
चकराता Chakrata	36168.400	4288.460	14.111	40470.971
योग–यमुना वृत्त Total-Yamuna Circle	**211844.170**	**4288.460**	**27.370**	**216160.000**
गढ़वाल Garhwal	70161.800	0.000	0.000	70161.800
रूद्रप्रयाग Rudraprayag	59867.260	0.000	0.000	59867.260
बद्रीनाथ Badrinath	134645.100	0.000	0.000	134645.100
योग–गढ़वाल वृत्त Total-Garhwal Circle	**264674.160**	**0.000**	**0.000**	**264674.160**
देहरादून Dehradun	49370.500	0.000	1111.480	50481.980
लैन्सडाउन Lansdowne	41551.700	1775.900	15.300	43342.900
भू०सं० कालसी Soil Conservation Kalsi	23318.500	0.000	2.800	23321.300
हरिद्वार Haridwar	33037.960	2123.000	3913.150	39074.110
योग–शिवालिक वृत्त Total-Shivalik Circle	**147278.660**	**3898.900**	**5042.730**	**156220.290**
महायोग–गढ़वाल जोन Grand Total-Garhwal Zone	**1053544.190**	**8197.342**	**5070.100**	**1066811.632**

प्रभाग का नाम Name of Division	आरक्षित Reserved	संरक्षित Protected	अवर्गीकृत तथा निहित Unclassed and vested	कुल वन क्षेत्र (2+3+4) Total Forest Area
निदेशक, राजाजी रा0 पार्क के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आरक्षित वन **RF under administrative control of Director RNP** राजाजी राष्ट्रीय उद्यान Rajaji National Park	85162.460	0.000	0.000	85162.460
निदेशक, नंदादेवी बायोस्फेयर रिजर्व के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आरक्षित वन **RF under administrative control of Director Nanda Devi Biosphere Reserve**				
नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान NandaDevi National Park	79908.900	0.000	0.000	79908.900
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग Kedarnath Wild Life Division	135145.350	0.000	0.000	135145.350
निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आरक्षित वन **RF under administrative control of Director, Corbett Tiger Reserve**				
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग Kalagarh Tiger Reserve Div.	62668.800	0.000	3.830	62672.630
कार्बेट राष्ट्रीय पार्क Corbett National Park	66162.000	0.000	0.000	66162.000
बिन्सर वन्य जीव विहार Binsar Wild Life Sanctuary	4707.000	0.000	0.000	4707.000
गोविन्द प0वि0 के अधीन आरक्षित वन RF under Govind Wildlife Sanctuary	95796.900	0.000	0.000	95796.900
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अधीन आरक्षित वन RF under Gangotri National Park	239002.400	0.000	0.000	239002.400
महा योग–वन्य जन्तु परिरक्षण Grand Total-Wildlife Organisation	768553.810	0.000	3.830	768557.640
योग–उत्तराखण्ड Total-Uttarakhand	2426464.816	9861.382	149991.726	2586318

6.3 वन क्षेत्रों में अतिक्रमण वर्ष 2017–18

Encroachment on Forest Areas F.Y.-2017-18

अतिक्रमित क्षेत्र– हैक्टेयर में
Encroachment Areas -in Ha.

वृत्त का नाम Name of Circle	प्रभाग का नाम Name of Division	31 मार्च 2017 की स्थिति में अतिक्रमित वन क्षेत्र Forest Area Encroachment as on 31 March 2017	आलोच्य वर्ष में खाली कराया गया अतिक्रमण Encroachment Vacated during Current year	आलोच्य वर्ष में नया अतिक्रमण New Encroachment Vacated during Current year	31 मार्च 2018 कुल अतिक्रमित वन क्षेत्र Total Forest Area Encroachment as on 31 March 2018
1	2	3	4	5	6
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त North KumaonCircle	अल्मोड़ा Almora	4.2061	0.0000	0.0000	4.2061
	सिविल सोयम अल्मोड़ा Civil Soyam Almora	0.7278	0.0000	0.0000	0.7278
	बागेश्वर Bageswar	153.0562	5.4300	0.0000	147.6262
	पिथौरागढ़ Pitoragarh	1.7085	0.0000	0.0000	1.7085
	चम्पावत Champavat	2.7840	0.0000	0.0000	2.7840
	योग–उत्तरी कुमाऊँ वृत्त Total-North Kumaon Circle	162.4826	5.4300	0.0000	157.0526
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त South KumaonCircle	नैनीताल Nainital	33.4865	1.8823	0.0000	31.6042
	योग–दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त Total-South Kumaon Circle	33.4865	1.8823	0.0000	31.6042
पश्चिमी वृत्त Western Circle	हल्द्वानी Haldwani	83.8600	0.0000	0.0000	83.8600
	तराई पूर्वी Tarai East	5982.0800	0.0000	0.0000	5982.0800
	तराई पश्चिमी Tarai West	1417.2800	0.0000	0.0000	1417.2800
	तराई केन्द्रीय Tarai Central	337.9500	0.0000	0.0000	337.9500
	रामनगर Ramnagar	275.8954	0.0000	0.0000	275.8954
	योग–पश्चिमी वृत्त Total-Western Circle	8097.0654	0.0000	0.0000	8097.0654
योग–कुमाँऊ मण्डल Total-Kumaon		8293.0345	7.3123	0.0000	8285.7222
भागीरथी वृत्त Bhagirathi Circle	टिहरी Tehri	36.8407	0.0000	0.0000	36.841
	उत्तरकाशी Uttarkashi	119.3150	80.5680	0.0000	38.7470
	नरेन्द्रनगर Narendranagar	3.3793	0.0000	0.0000	3.379
	योग–भागीरथी वृत्त Total-Bhagirathi Circle	159.5350	80.5680	0.0000	78.9670

अतिक्रमित क्षेत्र– हैक्टेयर में
Encroachment Areas -in Ha.

वृत्त का नाम Name of Circle	प्रभाग का नाम Name of Division	31 मार्च 2017 की स्थिति में अतिक्रमित वन क्षेत्र Forest Area Encroachment as on 31 March 2017	आलोच्य वर्ष में खाली कराया गया अतिक्रमण Encroachment Vacated during Current year	आलोच्य वर्ष में नया अतिक्रमण New Encroachment Vacated during Current year	31 मार्च 2018 कुल अतिक्रमित वन क्षेत्र Total Forest Area Encroachment as on 31 March 2018
1	2	3	4	5	6
यमुना वृत्त Yamuna Circle	मसूरी Mussooorie	110.1973	0.0000	0.0000	110.1973
	टोन्स Tons	9.3899	0.0000	0.0000	9.3899
	अपर यमुना Upper Yamuna	50.3552	28.8642	0.0000	21.4910
	चकराता Chakrata	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	योग–यमुना वृत्त Total-Yamuna Circle	169.9424	28.8642	0.0000	141.0782
गढ़वाल वृत्त Garhwal Circle	गढ़वाल Garhwal	5.6801	0.0000	0.0000	5.6801
	रुद्रप्रयाग Rudraprayag	0.0041	0.0000	0.0000	0.0041
	बद्रीनाथ Badrnath	387.3204	1.1661	0.0000	386.1543
	योग–गढ़वाल वृत्त Total-Garhwal Circle	393.0046	1.1661	0.0000	391.8385
शिवालिक वृत्त Shivalik Circle	देहरादून Dehradun	579.8020	0.0000	0.0000	579.802
	लैन्सडाउन Lansdown	0.9654	0.0000	0.0000	0.9654
	भू. सं. कालसी Soil Conservation Kalsi	0.7725	0.0000	0.0000	0.7725
	हरिद्वार Haridwar	21.4731	0.0000	0.0000	21.4731
	योग–शिवालिक वृत्त Total-Shivalik Circle	603.0130	0.0000	0.0000	603.0130
योग–गढ़वाल मण्डल Total-garhwal Region		1325.4949	110.5983	0.0000	1214.8966
वन जन्तु परिरक्षण के अन्तर्गत (Under Wildlife Organisation)					
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान Rajaji National Park	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (गोविन्द व०जी०वि० सहित) Rajaji National Park (Including Govind WLS)	2.9900	0.0000	0.5200	3.51
नंदादेवी बायोस्फेयर रिजर्व Nandadevi Biosphere Reserve	नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क Nandadevi National Park	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग Kedarnath wild life division	0.1165	0.0000	0.0000	0.1165
कार्बेट टाइगर रिजर्व Corbett Tiger Reserve	कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग Kalagarh Tiger Reserve Division	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान Corbett National Park	0.4000	0.0000	0.0000	0.4000
	गोविन्द पशु विहार Govind Pashu Vihar	1.5795	0.0000	0.0000	1.58
	बिन्सर वन्य जीव विहार Binsar Wildlife Sanctuary	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	योग–वन्य जन्तु परिरक्षण संगठन Total-Wildlife Organisation	5.0860	0.0000	0.5200	5.6060
94	योग–उत्तराखण्ड Total- Uttarakhand	9623.6155	117.9106	0.5200	9506.2249

स्रोत : वन संरक्षकों/निदेशकों से प्राप्त सूचनायें।
Source : Information received from Conservator of Forests/Directors

6.4 फायर लाईनों का विवरण (दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति)
Detail of Firelines as on 31.03.2018

वृत्त का नाम Name of Circle	प्रभाग का नाम Name of Division	चौड़ाई के अनुसार फायर लाइनों की लम्बाई (किमी0) Width wise Length of Fire lines (Km.)				
		100 फुट 100 Feet	50 फुट 50 Feet	30 फुट 30 Feet	अन्य Other	योग Total
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त North KumaonCircle	अल्मोड़ा Almora	153.630	10.180	10.000	0.000	173.810
	सिविल सोयम अल्मोड़ा Civil Soyam Almora	53.910	101.500	0.000	157.000	312.410
	बागेश्वर Bageswar	0.000	0.000	321.280	0.000	321.280
	पिथौरागढ़ Pitoragarh	0.000	14.600	0.000	0.000	14.600
	चम्पावत Champavat	783.490	40.000	562.450	0.000	1385.940
	योग–उत्तरी कुमाऊँ वृत्त Total-North Kumaon Circle	991.030	166.280	893.730	157.000	2208.040
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त South KumaonCircle	नैनीताल Nainital	100.180	218.970	125.400	2361.680	2806.230
	भू0सं0नैनीताल Soil Conservation Nainital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	भू0सं0रानीखेत Soil Conservation Ranikhet	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	अति.भू0सं0रामनगर Addl.Soil Conservation Ramnagar	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग–दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त Total-South Kumaon Circle	100.180	218.970	125.400	2361.680	2806.230
पश्चिमी वृत्त Western Circle	हल्द्वानी Haldwani	217.840	203.690	51.260	466.350	939.140
	तराई पूर्वी Tarai East	177.310	283.690	248.240	0.000	709.240
	तराई पश्चिमी Tarai West	10.750	113.500	34.500	0.000	158.750
	तराई केन्द्रीय Tarai Central	41.000	120.500	0.000	568.600	730.100
	रामनगर Ramnagar	27.100	94.700	45.880	556.680	724.360
	योग–पश्चिमी वृत्त Total-Western Circle	474.000	816.080	379.880	1591.630	3261.590
योग–कुमाँऊ मण्डल Total-Kumaon		1565.210	1201.330	1399.010	4110.310	8275.860
भागीरथी वृत्त Bhagirathi Circle	टिहरी Tehri	0.000	110.650	4.050	25.200	139.900
	टिहरी डैम वन प्रभाग– प्रथम Tehri Dam forest division-I	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	टिहरी डैम वन प्रभाग– द्वितीय Tehri Dam forest division-II	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	उत्तरकाशी Uttarkashi	0.000	22.500	105.500	0.000	128.000
	नरेन्द्रनगर Narendranagar	0.000	50.000	18.400	11.200	79.600
	भू0सं0 उत्तरकाशी Soil Conservation Uttarkashi	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग–भागीरथी वृत्त Total-Bhagirathi Circle	0.000	183.150	127.950	36.400	347.500

वृत्त का नाम Name of Circle	प्रभाग का नाम Name of Division	चौडाई के अनुार फायर लाइनों की लम्बाई (किमी0) Width wise Length of Fire lines (Km.)				
		100 फुट 100 Feet	50 फुट 50 Feet	30 फुट 30 Feet	अन्य Other	योग Total
1	2	3	4	5	6	7
यमुना वृत्त Yamuna Circle	मसूरी Mussoorie	0.000	73.900	15.900	29.400	119.200
	टोंस Tons	0.000	0.000	0.000	381.470	381.470
	अपर यमुना Upper Yamuna	0.000	0.000	266.000	0.000	266.000
	चकराता Chakrata	304.820	0.000	0.000	0.000	304.820
	योग–यमुना वृत्त Total-Yamuna Circle	**304.820**	**73.900**	**281.900**	**410.870**	**1071.490**
गढ़वाल वृत्त Garhwal Circle	गढ़वाल Garhwal	33.980	81.300	0.000	0.000	115.280
	रूद्रप्रयाग Rudraprayag	1.600	59.140	15.240	0.000	75.980
	बद्रीनाथ Badrinath	33.400	171.900	14.600	1391.450	1611.350
	योग–गढ़वाल वृत्त Total-Garhwal Circle	**68.980**	**312.340**	**29.840**	**1391.450**	**1802.610**
शिवालिक वृत्त Shivalik Circle	देहरादून Dehradun	45.500	79.900	53.050	793.570	972.020
	लैन्सडाउन Lansdown	64.400	10.000	20.000	1100.000	1194.400
	भू. सं. कालसी Soil Conservation Kalsi	36.000	39.500	31.500	418.750	525.750
	हरिद्वार Haridwar	7.000	8.000	34.000	1093.000	1142.000
	योग–शिवालिक वृत्त Total-Shivalik Circle	**152.900**	**137.400**	**138.550**	**3405.320**	**3834.170**
योग–गढ़वाल मण्डल Total-Garhwal Region		**526.700**	**706.790**	**578.240**	**5244.040**	**7055.770**
वन जन्तु परिरक्षण के अन्तर्गत **(Under Wildlife Organisation)**						
राजाजी टाईगर रिजर्व Rajaji Tiger Reserve	राजाजी टाईगर रिजर्व Rajaji Tiger Reserve	124.230	54.500	0.000	551.230	729.960
	गोविन्द पशु विहार Govind Pashu Vihar	0.000	19.110	101.430	48.000	168.540
नंदादेवी बायोस्फेयर रिजर्व Nandadevi Biosphere Reserve	नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क Nandadevi National Park	0.000	0.000	0.000	633.000	633.000
	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग Kedarnath wild life division	37.800	72.430	0.000	0.000	110.230

वृत्त का नाम Name of Circle	प्रभाग का नाम Name of Division	चौड़ाई के अनुार फायर लाइनों की लम्बाई (किमी0) Width wise Length of Fire lines (Km.)				
		100 फुट 100 Feet	50 फुट 50 Feet	30 फुट 30 Feet	अन्य Other	योग Total
1	2	3	4	5	6	7
कार्बेट टाइगर रिजर्व Corbett Tiger Reserve	कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग Kalagarh Tiger Reserve Division	60.370	184.930	7.000	623.160	875.460
	कार्बेट टाईगर रिजर्व Corbett Tiger Reserve	149.200	233.250	0.000	816.100	1198.550
	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क Gagotri National Park	0.000	0.000	0.000	120.000	120.000
	बिन्सर वन्य जीव विहार Binsar Wildlife Sanctuary	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग–वन्य जन्तु परिरक्षण संगठन Total-Wildlife Organisation	371.600	564.220	108.430	2791.490	3835.740
योग–उत्तराखण्ड Total- Uttarakhand		2463.510	2472.340	2085.680	12145.840	19167.370

स्रोत : वन संरक्षकों/निदेशकों से प्राप्त सूचनायें।
Source : Information received from Conservator of Forests/Directors

6.4.1 मास्टर कन्ट्रोल रूम/क्रू स्टेशन

मास्टर कन्ट्रोल रूम Master Control Rooms	44
क्रू स्टेशन Crew Stations	1494

स्रोतः मुख्य वन संरक्षकों से प्राप्त सूचंना के अनुसार।
Source : Acording to Information of Chief Conservators' of forest.

Annexure-2

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

प्रभाग के अन्तर्गत कार्ययोजना में दर्शिये गये अतिकमित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में विवरण

प्रभाग का कुल क्षेत्रफल:— 34806.626 है0

वर्ष 1995—96 / 2005—06 से 1995—96 से 2005—06 तक कार्ययोजना में दर्शाया गया अतिकमण:— 2629.15 है0

वर्तमान कार्ययोजना वर्ष 2015—16 से 2024—25 में दर्शाया गया अतिकमण:— 2629.15है0 (खण्ड एक भाग 1 व 2 में 1417.28 है0)

क0सं0	कार्ययोजना वर्ष	कार्ययोजना में दर्शाया अतिकमण	अभ्युक्ति
1	1985—86 से 1994—95 (श्याम लाल, भा0व0से0, कार्ययोजना अधिकारी)	2629.15 है0	कार्ययोजना के खण्ड एक भाग 1 व 2 के पृष्ठ सं0 04 में दर्शाया गया है।(संलग्न—1)
2	1995—96 से 2004—05 सतीश कुमार शर्मा, भा0व0से0, कार्ययोजना अधिकारी)	2629.15 है0	कार्ययोजना के खण्ड एक भाग 1 व 2 के पृष्ठ सं0 16 दर्शाया गया है। (संलग्न—2)
3	2005—06 से 2014—15 (कपिल लाल, भा0व0से0, कार्ययोजना अधिकारी)	2629.15 है0	कार्ययोजना के खण्ड एक भाग 1 व 2 के पृष्ठ सं0 12 दर्शाया गया है। (संलग्न—3)
4	2015—16 से 2024—25 (घनश्याम राय भा0व0से0, कार्ययोजना अधिकारी)	2629.15 है0	कार्ययोजना के खण्ड एक के पृष्ठ सं0 10 व खण्ड एक भाग 1 व 2 के पृष्ठ सं0 122 दर्शाया गया है। (संलग्न—4)

नोटः— इस वन प्रभाग का गठन वर्ष 1977 में हुआ था। तदोपरान्त से वर्तमान तक इस वन प्रभाग की कार्ययोजनाओं में प्रभाग का अतिकमित क्षेत्रफल 2629.15 है0 दर्शाया गया है। इस प्रभाग की वर्तमान प्रचलित कार्ययोजना के खण्ड—1 भाग—1 में प्रभाग का अतिकमण क्षेत्रफल 2629.15 है0 दर्शाया गया है। जबकि उसी कार्ययोजना खण्ड —1 भाग—2 के पृष्ठ सं0 122 में अतिकमित क्षेत्रफल 1417.28 है0 दर्शाया गया है। उक्त 1417.28 है0 अतिकमण क्षेत्रफल इस वन प्रभाग के गठन से पूर्व का अतिकमित क्षेत्र है, जो कि इस प्रभाग के कुल अतिकमित क्षेत्रफल 2629.15 है0 में सम्मिलित है।

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

तराई पश्चिमी वन प्रभाग

पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश

की

कार्य योजना

(1985-86 से 1994-95 तक)

हेम चन्द्र जोशी मा० व० से०

वन संरक्षक, कार्य योजना वृत्त (प्रथम) उत्तर प्रदेश,
नैनीताल के निर्देशन में

श्याम लाल, मा० व० से०

उप वन संरक्षक द्वारा संकलित

खण्ड एक

भाग 1 व 2

नैनीताल

कार्य योजना वृत्त (प्रथम) उ०प्र०

1984

मूल्य रु० **50.00**

भू-खण्ड का विवरण -

1.9.6 प्रभाग के कुल क्षेत्रफल में से आर पैरा 1.9.3 व 1.9.5 में उल्लिखित क्षेत्र को घटा कर कार्य योजना (वन प्रबन्ध) के उद्देश्य से प्रभाग का क्षेत्रफल 46318.50 हेक्टर लिया गया है ।

1.10 <u>सीमाओं की स्थिति</u> :- सामान्यतः वनों की सीमाएं, सीमा स्तम्भों तथा इनके बीच खाइयों से स्पष्ठ है । तराई भाबर वन क्षेत्र तथा पुराने आरक्षित वनों (तत्कालीन रामनगर तथा हल्द्वानी वन प्रभागों) की सीमाएं भी सीमा स्तम्भों से चिन्हित है । वनों की सीमाएं, जहां काश्तकारों के खेतों से मिलती हैं, कहीं-कहीं स्पष्ठ नहीं है क्योंकि सीमा स्तम्भों के बीच में खाईयों में मिट्टी भर गई है । यद्यपि प्रभाग में बजट की स्थिति को देखते हुए प्रति वर्ष सीमाओं की स्थिति स्पष्ठ करने के लिये 20 मीटर लम्बी खाईयां 20 मी के अन्तराल में खोदी जाती हैं, परन्तु काश्तकारों द्वारा जाने व अनजाने में खाईयां भर दी जाती हैं और अतिक्रमण का भय बना रहता है । अतः प्रभाग में सीमाओं की स्थिति स्पष्ठ करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय जिससे प्रत्येक भाग में हर 5वें वर्ष सीमा की स्थिति स्पष्ठ करने हेतु स्वतः बारी आ जाय । जहां पर स्थिति स्पष्ठ न हो वहां पर धारा 20 की विज्ञप्ति के अनुसार सुधार कर दिया जाय । आरक्षित वनों की बाहरी सीमा की देखरेख की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सीमा स्तम्भों के लुप्त या टूटी दशा में होने के दृष्टान्त सामने आये हैं ।

1.11 <u>अतिक्रमण</u> :- इस प्रभाग में अतिक्रमण की समस्या गम्भीर है और कई वर्षों से पुराने और नये अतिक्रमण विद्यमान हैं । समस्या के निराकरण हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है और शासन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यकीय है । इस वन प्रभाग में अकस्मात अतिक्रमणकारी समूह में आकर वन भूमि में पहले झाड़ियां साफ करते हैं और फिर वृक्षों को काट काट कर क्षेत्र को कृषि योग्य बना कर अतिक्रमण करते हैं । यद्यपि वन कर्मचारी इससे निपटने का पूरा प्रयास करते हैं परन्तु कई परोक्ष और अपरोक्ष कारणों से हताश होकर वन भूमि से हाथ धो बैठते हैं और कई इसमें जान भी गवा चुके हैं । इस प्रभाग में कुड्डा, जोगीपुरा, गुलजारपुर, अपर कोसी, आमपोखरा, जसपुर, शिवनाथपुर (माल धन चौड़) का अतिक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है । यदि इस पर शासन कठोर कदम तत्काल नहीं लेता है तो यह सम्भव है कि इस वन प्रभाग का एक बड़ा भूभाग वन विभाग के हाथ से निकल जायेगा । यद्यपि यह क्षेत्र आरक्षित वन है परन्तु इस अतिक्रमण के अन्तर्गत क्षेत्र पर विभाग की कोई गतिविधि नहीं हो रही है और अतिक्रमणकारी उसमें फसल पैदा करके वन विभाग के विरुद्ध न्यायालयों में केस लड़ रहे हैं ।

1.11.1 जहाँ-जहाँ वन खण्ड की बाहरी सीमा स्पष्ट नहीं है और सीमा से
काश्तकारों ने वन भूमि में अतिक्रमण कर लिया है । अतः काश्तकारों के साथ मिल
भूमि की सीमा को समायोजित ढंग से बांध तथा उसको स्पष्ट करना आवश्यकीय है ।

1.11.2 अतिक्रमण की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाती है । नजरी
के अनुसार इस प्रभाग में लगभग 2629.15 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है परन्तु
स्थिति इसकी बढ़ती रहती है ।

1.12 <u>वैधिक स्थिति</u> :- वन प्रभाग में पाये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के वनों की वैधिक स्थिति निम्नप्रकार है :-

।क।- तत्कालीन रामनगर वन प्रभाग से प्राप्त वन :- रानीगंज खण्ड को छोड़कर बाकी सभी पुराने वन जैसे जसपुर, तालचेह आदि वन खण्ड भारतीय वन अधिनियम सात, 1878 के अन्तर्गत आरक्षित वन हैं । उपरोक्त सभी वनों को शासनादेश 776-ए/चौदह/252-1923 दिनांक 7-8-1924 से पुनः विज्ञप्ति जारी की गई । रानीगंज खण्ड । 600.6 हेक्टेयर । को विज्ञप्ति संख्या 731/चौदह-147 दिनांक 27-1-1939 द्वारा आरक्षित किया गया ।

।ख।- तत्कालीन तराई भावर से प्राप्त वन :- इस वन प्रभाग के अन्तर्गत अधिकांश वन खण्ड तत्कालीन तराई भावर के खाम वन हैं जो शासकीय आदेश संख्या -चौदह-202 दिनांक 23 जून 1905 द्वारा "रक्षित वन" घोषित किये गये । इन वनों के प्रबन्ध हेतु विशेष वन अधिकारी की नियुक्ति वर्ष 1906 में हुई जो तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करता था। शासन के पत्र संख्या 95/चौदह-8 दिनांक 21 फरवरी 1908 द्वारा डिप्टीकमीशनर, नैनीताल को वन संरक्षक के समस्त अधिकार दिये गये जिनके अन्तर्गत विशेष वन अधिकारी कार्य करता था, जिसको उप वन संरक्षक के समान अधिकार प्राप्त थे ।

शासकीय आदेश संख्या-876/आई०सी०-195/56 दिनांक 15/16 जुलाई 1957, द्वारा तत्कालीन तराई एवं भावर वनों का स्थानान्तरण एवं विलीनीकरण वन विभाग को हुआ और इसी शासकीय आदेश द्वारा इन सभी वनों के भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अधीन रक्षित वन से आरक्षित वन बनाने की शासन की नीति घोषित की गई । कालान्तर में वर्ष 1958 में एक वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति हुई जिन्होंने पूरी छानबीन के बाद वन सीमाओं तथा स्थानीय निवासियों की रियायतों पर शासन को प्रस्ताव भेजे जो भारतीय वन अधिनियम के धारा-20 के अनुसार शासन के विभिन्न विज्ञप्तियों द्वारा प्रकाशित हुए ।

तराई पश्चिमी वन प्रभाग

पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश

की

प्रबन्ध योजना

1995-96 से 2004-2005

प्रकाश भटनागर भारतीय वन सेवा

वन संरक्षक, कार्य योजना वृत्त (प्रथम), उत्तर प्रदेश, नैनीताल

के निर्देशन में

सतीश कुमार शर्मा भारतीय वन सेवा

उप वन संरक्षक द्वारा संकलित

खण्ड-एक

(भाग १ व २)

नैनीताल

कार्य योजना वृत्त (प्रथम), उत्तर प्रदेश

1996

मूल्य रु० 400.00

स्पष्ट करने के लिये 20 मीटर लम्बी खाईयां 20 मी0 के अन्तराल में खोदी जाती हैं, परन्तु काश्तकारों द्वारा जाने व अनजाने में खाईयां भर दी जाती हैं और अतिक्रमण का भय बना रहता हैं। अतः प्रभाग में सीमाओं की स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय जिससे प्रत्येक भाग में हर दसें वर्ष सीमा की स्थिति स्पष्ट करने हेतु स्वतः बारी आ जाय। जहां पर स्थिति स्पष्ट न हो वहां पर धारा 20 की विज्ञप्ति के अनुसार सुधार कर दिया जाय। आरक्षित वनों की बाहरी सीमा की देखरेख की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सीमा स्तम्भों के लुप्त या टूटी दशा मे होने के दृष्टान्त सामने आये हैं।

1.11 <u>अतिक्रमण</u> :- इस प्रभाग में अतिक्रमण की समस्या गम्भीर हैं और कई वर्षो से पुराने और नये अतिक्रमण विद्यमान हैं। समस्या के निराकरण हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता हैं और शासन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यकीय हैं। इस वन प्रभाग में अकस्मात अतिक्रमणकारी समूह में आकर वन भूमि में पहले झाड़ियां साफ करते हैं और फिर वृक्षों को काट-काट कर क्षेत्र को कृषि योग्य बना कर अतिक्रमण करते हैं। यद्यपि वन कर्मचारी इससे निपटने का पूरा प्रयास करते है परन्तु कई परोक्ष और अपरोक्ष कारणों से हताश होकर वन भूमि से हाथ धो बैठते हैं और कई इसमें जान भी गवां चुके हैं। इस प्रभाग में जुड़का, जोगीपुरा, गुलजारपुर, अपर कोसी, आमपोखरा, जरूपुर, तुमड़िया, पीलीडाम, मोहम्मद -अलीपुर पट्टाघाट, पतरामपुर, शिवनाथपुर (माल धन चौड़) का अतिक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। यदि इस पर शासन कठोर कदम तत्काल नहीं लेता हैं तो यह सम्भव है कि इस वन प्रभाग का एक बड़ा भू-भाग वन विभाग के हाथ से निकल जायेगा। यद्यपि यह क्षेत्र आरक्षित वन हैं परन्तु इस अतिक्रमण के अन्तर्गत क्षेत्र पर विभाग की कोई गतिविधि नहीं हो रही हैं और अतिक्रमणकारी उसमें फसल पैदा करके वन विभाग के विरूद न्यायालयों मे केस लड़ रहे हैं।

1.11.1 कहीं-कहीं वन खण्ड की बाहरी सीमा स्पष्ट नहीं हैं और सीमा से लगे काश्तकारों ने वन भूमि में अतिक्रमण कर दिया हैं। अतः काश्तकारों के साथ लगी वन भूमि की सीमा को समयबद्ध ढंग से जांच तथा उसको स्पष्ट करना आवश्यकीय हैं।

1.11.2 अतिक्रमण की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। नजरी अनुमान के अनुसार इस प्रभाग में लगभग 2629.15 हे0 क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है परन्तु यह स्थिति घटती बढ़ती रहती हैं।

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पश्चिमी वृत्त, उत्तरांचल

की

प्रबन्ध योजना

2005–06 से 2014–15

शशि कुमार दत्त, भारतीय वन सेवा

मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना

उत्तरांचल, नैनीताल के निर्देशन में

कपिल लाल, भारतीय वन सेवा

उप वन संरक्षक द्वारा संकलित

खण्ड-एक

(भाग- 1 व 2)

नैनीताल

कार्ययोजना वृत्त, उत्तरांचल

2005

1.9.4 शासनादेश संख्या 264 / मा0सा0 / 14–3–92–918 / 77 दिनांक 28–11–1992 जिसकी अधिसूचना उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण की संख्या 193, 194, 195 / 7–1–2000–800 (4456) / 1991, देहरादून दिनांक नवम्बर 13, 2002 के अनुसार 221.63 है0 वन भूमि ग्राम धारा, झिरना एवं कोठीरो की ग्राम भूमि के बदले हस्तान्तरित की गयी। (परिशिष्ट 1(घ) 3) क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट 1 घ (4) में दिया गया है।

1.9.5 इस प्रभाग में वृक्षारोपण हेतु स्थायी पौधशालाओं का विवरण परिशिष्ट 1(घ) (5) में दिया गया है। कुल क्षेत्रफल 26.60 है0 है।

1.9.6 वन प्रबन्ध के उद्देश्य से प्रभाग का 31613.93 है0 क्षेत्र लिया गया है।

1.9.7 अवसायी प्रबन्ध योजना की भांति ही इस वन प्रमाग के अन्तर्गत कम अवधि के लिये भूमि विद्यालयों को, वन निगम के डिपो हेतु तथा सिचाई की के लिये गूलों हेतु सिंचाई विभाग को दी गयी है। जिसका विवरण परिशिष्ट 1 (ड.) में दिया गया है, को प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है।

1.10 सीमाओं की स्थिति : सामान्यतः वनों की सीमाएं प्रभाग के अधिकांश क्षेत्रों में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। प्रभाग की सीमाओं पर लगे पुराने सीमा स्तम्भ भी कहीं–कहीं पर ही परिलक्षित होते हैं। ऐसे कई वन क्षेत्र हैं जिनकी सीमा आवादी वाले क्षेत्रों से मिलती है जहां पर प्रभाग द्वारा समय–समय पर सीमा खाई खोदने के फलस्वरूप सीमा स्पष्ट की गयी है। प्रभाग के उत्तरी सीमा पर रामनगर वन प्रभाग स्थित है तथा इस क्षेत्र में सीमाऐं स्पष्ट हैं परन्तु प्रभाग के दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रों में वनों की सीमा पर अधिकांश क्षेत्रों में आवादी बसी है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर सीमा विवाद होते रहते हैं तथा सदैव अतिक्रमण की सम्भावना बनी रहती है। अतः प्रभाग की सीमाओं की स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय जिससे प्रत्येक भाग में हर 5वें वर्ष सीमा की स्थिति स्पष्ट करने हेतु स्वतः बारी आ जाय। जहां पर स्थिति स्पष्ट न हो वहां पर धारा 20 की विज्ञप्ति के अनुसार सुधार कर दिया जाय। आरक्षित वनों की बाहरी सीमा की देख–रेख की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सीमा स्तम्भों के लुप्त या टूटी दशा में होन के दृष्टान्त सामने आये हैं।

1.11 अतिक्रमण : इस प्रभाग में अतिक्रमण की समस्या गम्भीर है और कई वर्षो से पुराने और नये अतिक्रमण विद्यमान हैं तथा कुछ क्षेत्रों में वर्तमान में भी अतिक्रमण के प्रयास होते रहते हैं। समस्या के निराकरण हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है और शासन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यकीय है। इस वन प्रभाग में अकस्मात अतिक्रमणकारी समूह में आकर वन भूमि में पहले झाड़ियों को साफ करते हैं और फिर वृक्षों को काट–काट कर क्षेत्र को कृषि योग्य बना कर अतिक्रमण करते हैं। यद्यपि वन कर्मचारी इससे निपटने का पूरा प्रयास करते हैं परन्तु कई परोक्ष और अपरोक्ष कारणों से हताश होकर वन भूमि से हाथ धो बैठते हैं और कई इसमें जान भी गवां चुके हैं। इस प्रभाग में जुड़का, जोगीपुरा, गुलजारपुर, अपरकोसी, आमपोखरा, जसपुर, तुमड़िया, पीलीडाम, पतरामपुर, शिवनाथपुर (मालधन चौड़) का अतिक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। यदि इस पर शासन कठोर कदम तत्काल नहीं लेता है तो ये सम्भव है कि इस वन प्रभाग का एक बड़ा भू–भाग वन विभाग के हाथ से यहां निकल जायेगा। यद्यपि ये क्षेत्र आरक्षित वन है परन्तु इस अतिक्रमण के अन्तर्गत क्षेत्र पर विभाग की कोई गतिविधि नही हो रही है और अतिक्रमणकारी इसमें फसल पैदा कर रहें हैं।

1.11.1 अधिकांश क्षेत्रों में वन खण्ड की वाहरी सीमा स्पष्ट नहीं है और सीमा से लगे कास्ताकारों ने वन भूमि में अतिक्रमण कर दिया है। अतः कास्तकारों के साथ लगी वन भूमि की सीमा को समयवद्ध ढंग से जांच तथा उसको स्पष्ट कराना आवश्यक है।

1.11.2 [illegible] है। [illegible] लगभग [illegible] हे0 क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है [illegible]

1.12 विधिक स्थिति : इस वन प्रभाग में [illegible] वन खण्डों की वैधानिक स्थिति निम्न प्रकार है

(क) तत्कालीन रामनगर वन प्रभाग से प्राप्त वन : [illegible] [illegible] हे0 [illegible] आरक्षित वन है। [illegible] संख्या 776-1/14/252-1923 दिनांक [illegible] 1924 में पुन: [illegible] की गयी। [illegible] (धारा 4) के निर्देश संख्या 731/14-147 दिनांक 27.1.1939 द्वारा आरक्षित किया गया।

(ख) तत्कालीन तराई भावर से प्राप्त वन : इस वन प्रभाग के अन्तर्गत अधिकतर वन खण्ड तत्कालीन तराई भावर के खाम वन हैं जो शासकीय आदेश सं0 [illegible]/14-62, दिनांक 28 जून 1905 द्वारा "रक्षित वन" घोषित किये गये हैं। इन वनों के प्रबन्ध हेतु विशेष वन अधिकारी की नियुक्ति वर्ष 1906 में हुई जो तत्कालीन [illegible] अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करता था। शासन के पत्र सं0 95/14-8, दिनांक 21 फरवरी 1912 द्वारा डिप्टी कमिश्नर नैनीताल को उप वन संरक्षक के समान अधिकार निहित किये गये जिनके अन्तर्गत विशेष वन अधिकारी कार्य करता था जिसको उप वन संरक्षक के समान अधिकार प्राप्त थे।

शासकीय आदेश सं0 876/आई.सी.-195/56 दिनांक 15/16 जुलाई 1957 द्वारा तत्कालीन तराई एवं भावर के खाम वनों का स्थानान्तरण एवं विलीनीकरण वन विभाग को हुआ। इसी शासकीय आदेश द्वारा इन सभी वनों के भारतीय वन अधिनियम के धारा-4 के अधीन रक्षित वन से आरक्षित वन बनाने की शासन की नीति घोषित की गयी। कालान्तर (वर्ष 1958) में एक वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति हुई जिन्होंने वन सीमाओं तथा स्थानीय निवासियों के रियायतों आदि पर पूरी छान-बीन कर शासन को प्रस्ताव भेजे। जो भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अनुसार शासन के विभिन्न विज्ञप्तियों द्वारा प्रकाशित की गयीं।

(ग) तत्कालीन जमीदारी वन : ये क्षेत्र उ0 प्र0 जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1952 की विज्ञप्ति सं0 617/14-333-52 दिनांक 11-10-1952 द्वारा वन विभाग के आधीन रखे गये। प्रभाग के अन्तर्गत इस प्रकार के वन खण्ड में गादला, अलीगंज, मोहम्मदपुर अलीपुर, पट्टाघाट, नावाबाद, इनामपुरा, लालपुरी प्रमुख हैं। वर्तमान में यह क्षेत्र सामाजिक वानिकी, बिजनौर वन प्रभाग, उ0 प्र0 को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।

(घ) ग्राम समाज की नजूल भूमि : उ0 प्र0 शासन द्वारा ग्राम समाज की नजूल भूमि का अभ्यर्पण किया गया जैसे तुमड़िया जलाशय की अतिरिक्त भूमि।

(ङ.) अन्य क्षेत्र : छोटे आकार के रूद्रपुर/रामपुर राजि में बिखरे हुऐ वन खन्ड इस राजि के परिवर्ती वृत में स्थानान्तरण के पश्चात इस वन प्रभाग में आये हैं। इसके उदाहरण हरियावाला (कुदयावाला), भवानीपुर (जगतपुर पट्टी), प्रतापपुर, गढीनेगी (रामजीवनपुर), करनपुर नवलपुर किलावली (दुर्गापुर) कुण्डा नर्सरी आदि है।

1.12.1 उपरोक्त सभी वन खण्डो की सूची और धारा-4, धारा-20 भारतीय वन अधिनियम या अन्य क्रम की विज्ञप्तियों के विवरण परिशिष्ट 1(क) में दिये गये है।

1.13 अधिकार एवं रियायतें : आरक्षित वनो में किसी प्रकार के अधिकारों को मान्यता नही दी गयी है। इनमें केवल कुछ रियायतें ही स्वीकृत है जिनके विवरण संबंधित धारा-20 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 4 में दिये गये हैं। वन खण्डवार धारा-20 विज्ञप्ति संख्या व तिथि के विवरण परिशिष्ट 1(क) में दिये गये हैं। रियायतों में इमारती प्रकाष्ठ (मकान तथा गोठ बनाने के लिये) कृषि औजारों के लिये लकड़ी, जलौनी लकड़ी, घास, चारा पत्ती, चूने का पत्थर तथा इमारती पत्थर शामिल है।

29

4

[त]राई पश्चिमी वन प्रभाग
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड

की

प्रबन्ध योजना
(अवधि नियंत्रण वर्ष 2015–16 से 2024–25)

अमूल्य रत्न सिन्हा, भा०व०से०
प्रमुख वन संरक्षक,

के निदेशन में

घनश्याम राय भा०व०से०
कार्ययोजना अधिकारी

द्वारा पुनरीक्षित

खण्ड–1 (भाग–2)

[कार्या]लय मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना
उत्तराखण्ड हल्द्वानी
2015

8.	काशीपुर	कृपाचारजपुर	1.50	1.50
		रामजीवनपुर	1.7	.
		करनपुर	1.21	.
		भवानीपुर	1.40	.

1.11 **अतिक्रमण:–** इस प्रभाग में अतिक्रमण की समस्या गम्भीर है, और कई वर्षों से पुराने और नये अतिक्रमण विद्यमान है तथा कुछ क्षेत्रों में वर्तमान में भी अतिक्रमण के प्रयास होते रहते हैं। समस्या के निराकरण हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है और शासन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। इस वन प्रभाग में अकस्मात अतिक्रमणकारी समूह में आकर वन भूमि में पहले झाड़ियों का सफाया करते है और फिर वृक्षों को काट–काट कर क्षेत्र को कृषि योग्य बना कर अतिक्रमण करते है। यद्यपि वन कर्मचारी इनसे निपटने का पूरा प्रयास करते है परन्तु कई परोक्ष और अपरोक्ष कारणों से हताश होकर वन भूमि से हाथ धो बैठते है और कई इसमें अपनी जान गवां भी चुके है। इस प्रभाग में कुड़या, जोगीपुरा, गुलजारपुर, अमरकोटी, आमपोखरा, जसपुर, घुमड़िया., पतरामपुर, शिवनाथपुर (मालधनचौड़), का अतिक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। यद्यपि ये क्षेत्र आरक्षित वन है परन्तु इस अतिक्रमण के अन्तर्गत क्षेत्र पर विभाग की कोई गतिविधि नहीं हो रही है और अतिक्रमणकारी इसमें फसल पैदा कर रहे है।

1.11.1 अधिकांश क्षेत्रो में वन खण्ड की बाहरी सीमा स्पष्ट नहीं है और सीमा से लगे काश्तकारों ने वन भूमि में अतिक्रमण कर दिया है। अतः काश्तकारो के साथ लगी वन भूमि की सीमा को समयबद्ध ढंग से जांच तथा उसको स्पष्ट कराना आवश्यक है।

1.11.2 अतिक्रमण की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाती है। अनुमान है कि इस प्रभाग में लगभग 2829.15 है0 क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है परन्तु यह स्थिति घटती–बढ़ती रहती है।

1.12 **विधिक स्थिति :–** इस वन प्रभाग में पाये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के वनों की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है:

1. **तत्कालीन रामनगर वन प्रभाग से प्राप्त वन :–** रानीनागल खण्ड को छोड़कर बाकी सभी पुराने वन जैसे जसपुर आदि वन खण्ड भारतीय वन अधिनियम सन 1878 के अन्तर्गत आरक्षित वन है। उपरोक्त सभी वनों को शासनादेश सं0 776–ए/14/252–1923 दिनांक 07.08.1924 से पुनः विज्ञप्ति जारी की गयी। रानीनागल खण्ड (600.60 है0) को विज्ञप्ति संख्या 731/14–147 दिनांक 27.01.1939 द्वारा आरक्षित किया गया।

2. **तत्कालीन तराई भाबर से प्राप्त वन :–** इस वन प्रभाग के अन्तर्गत अधिकांश वन खण्ड तत्कालीन तराई भाबर के खाम वन है जो शासकीय आदेश सं0 387/14–202,दिनांक 28.जून.1905 द्वारा "रक्षित वन" घोषित किये गये है। इन वनों के प्रबन्ध हेतु विशेष वन अधिकारी की नियुक्ति वर्ष 1906 मे हुई जो तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करता था। शासन के पत्र सं0 95/14–8, दिनांक 21.फरवरी.1908 द्वारा डिप्टी कमिश्नर नैनीताल को वन संरक्षक के समान अधिकार निहित किये गये। जिनके अन्तर्गत विशेष वन अधिकारी कार्य करता था, जिसको उप वन संरक्षक के समान अधिकार प्राप्त थे।

   शासकीय आदेश सं0 876/आई0सी0–195/58,दिनांक 15/16.जुलाई.1957 द्वारा तत्कालीन तराई एवं भाबर के खाम वनों का स्थानान्तरण एवं विलीनीकरण वन विभाग को हुआ। इसी शासकीय आदेश द्वारा इन सभी वनों के भारतीय वन अधिनियम के धारा–4 के अधीन रक्षित वन से आरक्षित वन बनाने की शासन की नीति घोषित की गयी। कालान्तर (वर्ष 1958) में एक वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति हुई जिन्होने वन सीमाओं तथा स्थानीय निवासियों की रियायतों आदि पर पूरी छान–बीन कर शासन को प्रस्ताव भेजे। जो भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अनुसार शासन के विभिन्न विज्ञप्तियों द्वारा प्रकाशित की गयी।

3. **तत्कालीन जमींदारी वन :–** ये क्षेत्र उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1952 की विज्ञप्ति सं0 617/14–333–52 दिनांक 11.10.1952 द्वारा वन विभाग के आधीन रखे गये। प्रभाग के अन्तर्गत इस प्रकार के वन खण्ड में गादला, अलीगंज, मोहम्मदपुर, अलीपुर, पट्टाघाट, नावाबाद, इनामपुरा, लालपुरी आदि प्रमुख है। वर्तमान में ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन है।

4. **ग्राम सभा की नजूल भूमि :–** उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम समाज की नजूल भूमि को अभ्यर्पण किया गया जैसे घुमड़िया जलाशय की अतिरिक्त भूमि।

5. **अन्य क्षेत्र :–** छोटे आकार के रुद्रपुर/रामपुर राजि में बिखरे हुये वन खण्ड इस राजि के पश्चिमीवृत्त में स्थानान्तरण के पश्चात इस वन प्रभाग में आये है। इसके उदाहरण हरियावाला(कुंदयावाला), भवानीपुर (जगतपुर पट्टी), प्रतापपुर,गढ़ीनेगी(रामजीवनपुर),करनपुर नवलपुर किलावली(दुर्गापुर), कुण्डा नर्सरी आदि है।

16.32.9 प्रेरित करने वाले कारक –

1. वन सीमा का अस्पष्ट होना -- वन सीमाओं में स्पष्ट सीमा स्तम्भों के न होने अथवा दूर–दूर स्थित होने से दिखायी न देने के कारण लालची व्यक्तियों अथवा समूहों को अतिक्रमण करने का प्रोत्साहन मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार इसके लिये उत्तरदायी वन रक्षकों को भी पता नहीं लगता है कि अतिक्रमण हो चुका है।

2. निरीक्षण का अभाव – प्रभाग के अधिकतर नये आरक्षित वनों की सीमा–स्तम्भों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। पत्थर निर्मित [illegible] मुनारें जो अभी भी आरसीसीकरीत मुनारों में परिवर्तित नहीं हो पाये है। पुराने कटे पत्थरों के मुनारो को मौका मिलने पर लालची व्यक्ति/समूहों द्वारा अपने हित में बदल दिया जाता है। सीमा स्तम्भों की सुरक्षा का दायित्व वन रक्षकों/वन दरोगाओं तथा वन [illegible] का है। विभिन्न स्तरों पर सीमा निरीक्षणों में उदासीनता के चलते ऐसे क्षेत्रों में अतिक्रमण की सम्भावना रहती है।

3. रोजगार का अभाव – भूमि के मूल्यों में हो रहे लगातार वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामों/कस्बों के बेरोजगार व्यक्ति अथवा समूह भूमि प्राप्ति के लालच में अतिक्रमण के प्रयास करते है।

4. नीतियों का अभाव -- स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों के संरक्षण के चलते लालची व्यक्तियों/समूहों द्वारा अतिक्रमण की सम्भावना इसलिये भी बनी रहती है कि कभी न कभी अतिक्रमित भूमि उनके नाम हो जायेगी।

5. बड़े क्षेत्र – क्षेत्रों के बड़े होने तथा सीमा अस्पष्ट होने के कारण अतिक्रमण का पता नहीं चल पाता है। जब तक वन रक्षकों को पता चलता है तब तक अतिक्रमण हो चुका होता है।

6. मूल्यवान भूमि – वर्तमान में वन क्षेत्रों की भूमि का बढ़ते हुए मूल्यों के कारण भी लालची व्यक्तियों या समूह द्वारा अतिक्रमण किये जाने की सम्भावनायें बनी रहती है।

7. औद्योगीकरण – शहरों के किनारे बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन लगातार हो रहा है फलस्वरूप शहरों से लगे आरक्षित वनों से इसका दबाव बढ़ रहा है।

8. बढ़ती आबादी – साल दर साल जनसंख्या में वृद्धि तथा रोजगार की कमी के कारण गाँव/शहरों से लगे वन क्षेत्रों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है।

9. विधिक कठिनाइयां – जब अतिक्रमण करने वाले अपराधी के विरुद्ध वाद चलाया जाता है तो वह कानून का सहारा लेकर स्थगन आदेश प्राप्त कर अनवरत बने रहते है। अतिक्रमण के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपराधी को दो वर्ष के कारावास या 5000 रूपये या दोनों दण्डनीय है। अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर अतिक्रमित भूमि से उसे बेदखल कराने के लिए अलग से मुकदमा चलाना पड़ता है।

16.32.10 **संवेदनशीलता**– वन क्षेत्रों की संवेदनशीलता के विश्लेषण हेतु निम्न मानको को संज्ञान में लिया जाना चाहिए।

(अ) क्षेत्र का विगत इतिहास
(ब) मूल्यवान व उपजाऊ भूमि
(स) अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय सीमा
(द) दुर्गम वन क्षेत्र
(य) वन क्षेत्रों से लगे औद्योगिक क्षेत्र
(र) वन क्षेत्रों के निकट बसासतें
(ल) वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राज मार्ग
(व) क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति

16.32.11 **अतिक्रमण की स्थिति** – प्रभाग के सभी रेंजों के वन क्षेत्र अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग के विभागीय अभिलेखों से प्राप्त अतिक्रमण की सूची सारणी–16.14 में दिया गया है।

सारणी–16.14

क्रम संख्या	खण्डा एवं कक्ष	अतिक्रमण क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4
1.	आमपोखरा 25,27ब	जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा सन 1973 में बसाया गया	54.631
2.	शिवनाथपुर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 एन–2, एन–3, एन–4	जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा सन 1973 में बसाया गया	509.221
3.	द0शिवनाथपुर		43.320
4.	मानपुर फिरोजपुर	बेदखली वाद की कार्यवाही की जा रही है।	43.431
5.	आमपोखरा डी क्लास	न्यायालय में विचाराधीन	46.06
6.	बरूआ	बेदखली की कार्यवाही की जानी है।	52.441
7.	जोगीपुरा ब्लौक	बेदखली की कार्यवाही की जानी है।	267.764
8	जुड़का ब्लौक	बेदखली की कार्यवाही की जानी है।	109.00
9.	गुलजारपुर ब्लौक	बेदखली की कार्यवाही की जानी है।	139.00
10.	ज्वालावन ब्लौक	बेदखली की कार्यवाही की जानी है।	4.00
11.	पापड़ी	बेदखली की कार्यवाही की जानी है।	12.00
12.	अपर कोसी	बेदखली की कार्यवाही की जानी है।	136.412
योग			1417.28

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभाग के विभिन्न वन खण्डो में वन सीमा की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अनेक वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति प्रतीत होती है, जिसे अतिक्रमण की सूची में प्रसूचित नहीं किया गया है।

32

कार्यालय फील्ड डायरेक्टर, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)।

वन्यजीव हेल्पलाईन नं0 18008909715, टेलीफोन नं0- 05947-253977, फैक्स नं0- 05947-251012, ई-मेल-dirctr@yahoo.in

पत्रांक- 938 / 12-1 रामनगर, दिनांक, 25 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय- वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबन्धित सूचना की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

संदर्भ- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक-24.10.2024 को आहूत बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक-24.10.2024 को आहूत बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कार्बेट टाइगर रिजर्व से वन भूमि पर अतिक्रमण की अद्यतन सूचना संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राहुल मिश्रा)
उप निदेशक,
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 938 / 12-1 उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि-

1-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रषित।

2-फील्ड डायरेक्टर, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

(राहुल मिश्रा)
उप निदेशक
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर (नैनीताल)।

Scanned with ACE Scanner

क्र. सं.	वृत्त का नाम	प्रभाग का नाम	वर्ष 2016–17 के अनुसार अतिक्रमण (है0 में)	वर्ष 2017–18 के अनुसार अतिक्रमण (है0 में)	वर्ष 2018–19 के अनुसार अतिक्रमण (है0 में)	वर्ष 2019–20 के अनुसार अतिक्रमण (है0 में)	वर्तमान में अतिक्रमण (है0 में)	अभ्युक्ति
1	कार्बेट टाइगर रिजर्व	रामनगर टाइगर रिजर्व प्रभाग	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	कार्बेट टाइगर रिजर्व में वर्ष 1974 से पूर्व से 22 परिवारों द्वारा 0.40 है0 वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यह क्षेत्र (वन भूमि) वर्ष 1991 में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पुर्नगठन के समय रामनगर वन प्रभाग, रामनगर से हस्तान्तरित होकर आया है। अतिक्रमित भू–भाग में छोटे बड़े भवनों का आंशिक भाग वन भूमि में है। इनके बेदखली आदेश जारी नही किये गये है।
2			–	–	8.533	8.533	8.533	कार्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्रान्तर्गत ढेला एवं झिरना रेंज में वर्ष 2018 में सर्वेक्षण कार्य कर 8.533 है0 क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित किया गया। यह क्षेत्र (वन भूमि) वर्ष 1991 में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पुर्नगठन के समय तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर से हस्तान्तरित होकर आया है। इस क्षेत्र वन भूमि पर 57 वन गूजर परिवारों के नितान्त अस्थाई डेरे है। इन गूजर परिवारों का बेदखली का आदेश सक्षम प्राधिकृत अधिकारी एवं सक्षम अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध वन गूजरों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 25904–25908 / 2018 योजित की गई है। जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Status quo के आदेश जारी किये गये है। प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हेतु गतिमान है।
3			–	–	0.181	0.181	–	कार्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्रान्तर्गत ढेला रेंज में वर्ष 2018 में सर्वेक्षण कार्य कर 0.181 है0 क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित किया गया। यह क्षेत्र (वन भूमि) वर्ष 1991 में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पुर्नगठन के समय तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर से हस्तान्तरित होकर आया है। इस वन भूमि में 06 परिवार निवासरत थे। जिसमें नियमानुसार सक्षम प्राधिकृत अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसमें सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के आदेश दिनांक 11.12.2019 एवं सक्षम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2019 के अनुक्रम में आरक्षित वन भूमि को अतिक्रमण से रिक्त कर दिया गया था।
1		कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग	–	–	–	–	–	–
		योग	0.40	0.40	9.114	9.114	8.933	

उप निदेशक,
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर, नैनीताल।

Scanned with ACE Scanner

Annexure-4

(उत्तराखंड वन सांख्यिकी रिपोर्ट वर्ष 2017–18 व दिनांक 31 मार्च 2020 वन मुख्यालय द्वारा वन भूमि अतिक्रमण से संबंधित एकत्रित आंकड़ों का प्रभागवार विवरण)

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	Terai West Forest Division	34806.63	2629.15	1417.28	1211.87	प्रभागीय कार्ययोजना वर्ष 1995–96 से वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2015–16 से वर्ष 2024–25 में वर्णित वन भूमि पर अतिक्रमण 2629.15 है० है। इस प्रकार 2017–18 में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग परिलक्षित हो रही है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 532.9686 है० वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है जिनमें से मात्र 119.707 है० अतिक्रमण कार्ययोजना में दर्शित अतिक्रमण से हटाया गया।
2	Badrinath Forest Division	134645.10	1184.55	386.15	798.39	वर्ष 2017–18 के बाद प्रभाग में वनाधिकारीओं द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय–समय पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है व वन भूमि पर कब्जा करने वालों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में समस्त मामले प्राधिकृत न्यायालय / DFO कोर्ट व अपीलीय न्यायालय / CF कोर्ट में विचाराधीन हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 798.39 हैक्टर है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 248.00 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
3	Rudraprayag Forest Division	107337.66	282.17	0.00	282.16	वर्ष 2017–18 के बाद प्रभाग में वनाधिकारीओं द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय–समय पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है व वन भूमि पर कब्जा करने वालों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में 08 मामले मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 0.061758 हैक्टर है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.711522 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में 44.86999 है० वन भूमि पर अतिक्रमण है जिसे नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
4	Haridwar Forest Division		51.19	21.47	29.71	विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 17.89 है० वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। वर्तमान में प्रभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
5	Kedarnath Wildlife Forest Division	67160.00	12.49	0.12	12.37	वर्ष 2017–18 के बाद प्रभाग में वनाधिकारीओं द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय–समय पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है व वन भूमि पर कब्जा करने वालों को 165 बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में 147 मामले प्राधिकृत न्यायालय/DFO कोर्ट व 18 मामले अपीलीय न्यायालय/CF कोर्ट में विचाराधीन हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 8.524316 हैक्टर है। विभिन्न न्यायालयों में लम्बित विचाराधीन कोर्ट के मामलों को 2020 की रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने से आंकड़ों में भिन्नता परिलिक्षित हो रही है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 15.16 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में 9.083015 है० वन भूमि पर अतिक्रमण है जिसे नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
6	Ramnagar Forest Division	48736.90	284.63	275.90	8.73	वर्ष 2017–18 के बाद प्रभाग में वनाधिकारीओं द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय–समय पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है व वन भूमि पर कब्जा करने वालों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में 8.73 है० क्षेत्रफल संबंधित मामले मा० सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी नैनीताल कोर्ट में लंबित हैं। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 1.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। वर्तमान में प्रभाग का कुल अतिक्रमण क्षेत्र 284.6949 है।

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
7	Corbett National Park	128831.00	9.11	0.40	8.71	वर्ष 2017–18 के बाद प्रभाग में वनाधिकारीओं द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय–समय पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है व वन भूमि पर कब्जा करने वालों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्रान्तर्गत ढेला एवं झिरना रेंज में वर्ष 2018 में सर्वेक्षण कार्य कर 8.533 है० क्षेत्र अतिक्रमण चिन्हित किया गया। यह क्षेत्र (वन भूमि) वर्ष 1991 में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पुनर्गठन के समय तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर से हस्तान्तरित होकर आया है। इस क्षेत्र वन भूमि पर 57 वन गुजर परिवारों के नितान्त अस्थाई डेरे हैं। इन गुजर परिवारों का बेदखली का आदेश सक्षम प्राधिकृत अधिकारी एवं सक्षम अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध वन गुजरों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका सं० 25904–25908/2018 योजित की गई है। जिस पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा **Status quo** के आदेश जारी किये गये हैं। प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हेतु गतिमान है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 76.83 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
8	Nanda Devi National Park	184761.93	2.10	0.00	2.10	प्रभाग में कुल अतिक्रमण क्षेत्रफल 2.102 है० है जो कि 31.03.2017 से पूर्व के हैं। मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 18.06.2018, 19.06.2018, एवं 20.06.2018 केक्रम में कार्या० उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क ज्योर्तिमठ द्वारा माह जनवरी 2019 में समस्त 49 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध एच–2 केस जारी किये गये तथा माह नवम्बर 2019 समस्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किये गये हैं।

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
9	Chakrata Forest Division	36168.40	0.25	0.00	0.25	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। वर्तमान में प्रभाग में कुल 0.64327 है० क्षेत्रफल वन भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित है। जिसे नियमानुसार हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
10	Bageshwar Forest Division	66236.20	147.86	147.63	0.23	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
11	Tehri Forest Division	143268.90	35.84	36.84	-1.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 11.84 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
12	Tons Forest Division	62559.03	3.51	9.39	-5.88	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
13	Upper Yamuna Forest Division	74394.50	10.21	21.49	-11.28	वर्ष 2017–18 के बाद प्रभाग में वनाधिकारीओं द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय–समय पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है व वन भूमि पर कब्जा करने वालों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 26.61 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में 4.3109 है० वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
14	Mussoorie Forest Division	40164.9	97.78	110.20	-12.41	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 34.97 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
15	Nainital Forest Division		15.87	31.60	-15.74	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 5.00 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
16	Almora Forest Division		4.21	4.21	0.00	विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
17	Civil Soyam Almora Forest Division	7577.60	0.73	0.73	0.00	विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
18	Pithoragarh Forest Division	75583.12	1.71	1.71	0.00	विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
19	Champawat Forest Division	62098.32	2.78	2.78	0.00	विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 2.24 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
20	Haldwani Forest Division	63460.6	83.86	83.86	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 30.33 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
21	Terai East Forest Division	82429.92	5982.08	5982.08	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
22	Terai Central Forest Division	40496.97	337.95	337.95	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है।विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 74.96 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
23	Uttarkashi Forest Division	224370.60	38.75	38.75	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 7.74 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
24	Narendranagar Forest Division	62107.7	3.38	3.38	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.68 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
25	Garhwal Forest Division	70161.80	5.68	5.68	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.21 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
26	Dehradun Forest Division	49592.58	579.80	579.80	0.00	विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 53.28 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
27	Lansdowne Forest Division	43327.60	0.97	0.97	0.00	विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.50 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र (है0)	31 मार्च 2020 सांख्यकीय पुस्तक के अनुसार कुल अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रभागवार अतिक्रमण का क्षेत्रफल (है0)	सांख्यकीय पुस्तक वर्ष 2017–18 व वर्ष 2020 का अन्तर (4–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
28	S.C. Kalsi Forest Division	23321.30	0.77	0.77	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 0.72 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
29	Rajaji National Park Forest Division		3.51	3.51	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 2.93 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
30	Govind wildlife Sanctuary		1.58	1.58	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 1.58 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
31	Kalagarh Tiger Reserve Forest Division	62265.6	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2017–18 के बाद वनाधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया है। विगत वर्षों में प्रभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 20.00 हैक्टर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है । वर्तमान में प्रभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण नियमानुसार चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
		1995864.85	11814.46	9506.23	2308.23	

वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति तथा अतिक्रमण हटाने से संबंधित प्रगति विवरण (दिनांक 04.11.2024 तक)

वृत्त का नाम	प्रभाग का नाम	जनपद	दिनांक 31 मार्च 2020 तक अतिक्रमित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	वन भूमि से हटाये गये अतिक्रमण का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
यमुना वृत्त	मसूरी वन प्रभाग	देहरादून	97.78	34.97
	चकराता वन प्रभाग	देहरादून	0.25	0.00
	अपर यमुना वन प्रभाग	उत्तरकाशी	10.21	1.36
	टोन्स वन प्रभाग	उत्तरकाशी	3.51	0.50
शिवालिक वृत्त	हरिद्वार वन प्रभाग	हरिद्वार	51.19	17.89
	भूमि संरक्षण कालसी वन प्रभाग	देहरादून	0.77	0.72
	देहरादून वन प्रभाग	देहरादून	579.8	53.29
	लैन्सडाउन वन प्रभाग	पौड़ी	0.97	9.00
	भूमि संरक्षण लैन्सडौन	पौड़ी	0	0.00
भागीरथी वृत्त	टिहरी वन प्रभाग	टिहरी	35.84	11.84
	उत्तरकाशी वन प्रभाग	उत्तरकाशी	38.75	7.74
	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	टिहरी	3.38	0.68
	टिहरी डैम–प्रथम	टिहरी, उत्तरकाशी	0	0.00
	टिहरी डैम–द्वितीय	टिहरी	0	0.00
गढवाल वृत्त	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग	रूद्रप्रयाग	282.17	0.82
	बद्रीनाथ वन प्रभाग	चमोली	1184.55	248.00
	गढ़वाल वन प्रभाग	पौड़ी	5.68	0.21
	भूमि संरक्षण अलकनन्दा	चमोली	0	0.00
पश्चिमी वृत्त	हल्द्वानी वन प्रभाग	नैनीताल	83.86	30.33
	रामनगर वन प्रभाग	नैनीताल	284.63	1.50
	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	उधम सिंह नगर, नैनीताल	337.95	74.96
	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	नैनीताल	2629.15	532.97
	तराई पूर्वी वन प्रभाग	उधम सिंह नगर, नैनीताल	5982.08	214.02
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त	बागेश्वर वन प्रभाग	बागेश्वर	147.86	0.50
	पिथौरागढ़ वन प्रभाग	पिथौरागढ	1.71	0.50
	सिविल सोयम अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	0.73	0.50
	चम्पावत वन प्रभाग	चम्पावत	2.78	2.24
	अल्मोड़ा वन प्रभाग	अल्मोड़ा	4.21	0.50
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त	नैनीताल वन प्रभाग	नैनीताल	15.87	5.00
	भूमि संरक्षण नैनीताल वन प्रभाग	नैनीताल	0	0.00
	भूमि संरक्षण रानीखेत वन प्रभाग	अल्मोड़ा	0	0.00
	भूमि संरक्षण, रामनगर वन प्रभाग	अल्मोड़ा, पौड़ी	0	0.00
निदेशक कॉर्बेट टाईगर रिजर्व	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामनगर	नैनीताल	9.11	76.83
	कालागढ़ टाईगर रिजर्व वन प्रभाग	पौड़ी	0	20.00
निदेशक राजा जी	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	देहरादून	3.51	2.93
	गोविन्द पशु विहार	उत्तरकाशी	1.58	1.58
	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क	उत्तरकाशी	0	0.00
निदेशक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	चमोली	12.49	15.16
	नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क	चमोली	2.1	0.00
योग			**11814.47**	**1366.54**

कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 0135-2740926, Email:ccfvpddn@gmail.com

पत्रांक /DSR-Encroachment देहरादून, दिनांक 2024

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3- प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड देहरादून।
4- अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

भवदीय,

Signed by
Parag Madhukar Dhakate
Date: 04-11-2024 14:35:08

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
अतिक्रमण हटाओ अभियान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।